न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी
न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प डिडावला

कु० नं० 59/2017
निर्णय दिनांक 12/5/2017

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार फागी बनाम केलाशी वगैरा
(धारा 131 LR Act रास्ता प्रकरण)

पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ओर डिडावला में पेश हुई। तहसीलदार फागी द्वारा ग्राम मालपुरा के ख० नं० 116/3 रकबा 0.02 बीघा भूमि के अपार्थीगण द्वारा विभाजन पत्र में आपसी सहमति से शामलात रास्ता रखा है। जो तदानुसार जमाबंदी में दर्ज है।

तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं नक्शा इस की प्रति के अवलोकन एवं अध्ययन करने के बाद प्रार्थना 131 LR Act स्वीकार किया जाता है ख० नं० 116/3 रकबा 0.02 बीघा भूमि ग्राम मालपुरा तहसील फागी को ॐ० मु० रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि शामलाती खातेदारी के पूर्ववत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार फागी को रिकार्ड में अमल दरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली कैसल मुताबद होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर है।